Rcms 2011/00011

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 13/2011 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

मोडू पुत्र धन्ना जाति भील निवासी ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा मृतक कायम मुकानान

1/1. कैलाश बाई पुत्री मोडूलाल पत्नी मथुरालाल जाति भील निवासी ग्राम दहल्याहेडी तहसील अन्ता जिला बारां

1/2. पुष्पाबाई पत्नी मोडूलाल जाति भील निवासी दरबीजी तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री श्याम लाल सुमन (अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 14(4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17,22 के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 08.01.2020

1. तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17,22 के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अप्रार्थी मोडू आ0 धन्ना जाति भील निवासी ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद को दिनांक 19.12.1978 को ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद की खसरा नं0 1/6 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी । बाद बन्दोबस्त उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 15 की 0.52 हैक्टर, 16 की 1.00 हैक्टर, 17 की 0.21 हैक्टर कायम किये गये । उक्त नवीन नम्बरान मे से मात्र ख0 नं0 15 रकबा 0.52 हैक्टर पर आवंटी का कब्जा है । खसरा नं0 16 रकबा 1.00 हैक्टर बृजमोहन पुत्र शंकर राय के गैर खातेदारी मे दर्ज होकर कब्जा काश्त है । इसी प्रकार हाल खसरा नं0 17 रकबा 0.21 हैक्टर सिवायय चक दर्ज होकर रामदेव, रेवडीलाल पुत्र बिरधा के कब्जे काश्त मे है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की जा रही है । आवंटी का सम्पूर्ण आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त नही है । अतः हाल खसरा नं0 16 व 17 के संबंध मे आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । अप्रार्थी के कायम मुकाम नं0 1 की ओर से श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन) कोटा के यहां से दिनांक 19.12.78 को अप्रार्थी मोडू लाल आत्मज धन्ना जाति भील निवासी दरबीजी

तहसील दीगोद के नाम खसरा नं0 1/6 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित होकर कब्जा मौके पर आवंटी को दे दिया गया था, तब से आवंटी काबिज काश्त होकर काश्त करता आ रहा है और उसके स्वर्गवास के उपरान्त अप्रार्थिया उसकी एक मात्र वारिस व विधिक उत्तराधिकारी होने से आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है । उक्त खसरा नं0 के नये नम्बर 15,16/325,17 रकबा क्रमशः 0.52 है0,0.21 है0 एवं 0.21 है0 कुल 0.94 है0 भूमि में मोडू पुत्र धन्ना के वारिसान काबिज काश्त है । आवंटन की पूरी रकम राज्य सरकार को जमा कराई जा चुकी है और कोई आवंटन राशि बकाया नही है । उक्त भूमि पर अप्रार्थिया के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नही है । उक्त भूमि अप्रार्थिया कैलाशी पुत्री मोडू के गैर खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है । अप्रार्थी मोडू ने आवंटन नियमों की पूर्ण रूप से पालना की है और उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थिनी आवंटन नियमों की पालना कर रही है । तहसीलदार द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह गलत तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार योग्य नही है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

3. राजकीय अभिभाषक व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की जा रही है । आवंटी का सम्पूर्ण आवंटित आराजी पर कब्जा काश्त नही है । अतः हाल खसरा नं0 16 व 17 के संबंध मे आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए जाहिर किया कि आवंटन की पूरी रकम राज्य सरकार को जमा कराई जा चुकी है और कोई आवंटन राशि बकाया नही है । उक्त भूमि पर अप्रार्थिया के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त नही है । उक्त भूमि अप्रार्थिया कैलाशी पुत्री मोडू के गैर खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है । अप्रार्थी मोडू ने आवंटन नियमों की पूर्ण रूप से पालना की है और उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थिनी आवंटन नियमों की पालना कर रही है । तहसीलदार द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया है वह गलत तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार योग्य नही है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । अप्रार्थी मोडू आ0 धन्ना जाति गौड़ निवासी ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद को दिनांक 19.12.1978 को ग्राम दरबीजी तहसील दीगोद की खसरा नं0 1/6 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी । तहसीलदार दीगोद द्वारा आवंटी का कब्जा नही होने के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश नही किए । प्रार्थना पत्र अनुसार यदि आवंटित भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा है तो उस पर वह अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है, जिससे उसे भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते । आवंटित भूमि पर आवंटी व उसके वारिसान का कब्जा काश्त नही होने बाबत तहसीलदार दीगोद द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा